

04.05.17

वादी द्वारा पुकार लगाये जाने पर सांयकाल 4:45 बजे तक कोई उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा अधिवक्ता श्री सुनील कांकर।

प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा अधिवक्ता श्री विकास कांकर।

प्रतिवादी क्रमांक 4 एकपक्षीय।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है परन्तु वादी साक्ष्य अनुपस्थित है। वादी को साक्ष्य हेतु तीन से अधिक अवसर प्रदान किए जा चुके हैं और व्यय भी अधिरोपित किया जा चुका है। परन्तु वादी साक्ष्य अनुपस्थित है और वादी द्वारा उपस्थित होकर स्थगन भी प्राप्त नहीं किया गया है। अतः आदेश 17 नियम 3, 2 सीपीसी के अधीन अग्रेषित होते हुए आदेश 9 नियम 8 सीपीसी के अधीन वादी की अनुपस्थिति में वाद निरस्त किया जाता है।

उभयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये।

व्यय तालिका बनाई जाये।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जाये।

सही/—

गोपेश गर्ग

1-सी.जे.-2, गोहद